

शराब पीकर मजारों में तोड़फोड़ मामले में 5 गिरफ्तार, दो बाल अपचारी भी डिटैन

राजसमंद/भीम, (निसं)। भीम थाना क्षेत्र में पुराने कब्रिस्तान में बनी मजारों की तोड़फोड़ कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने के आरोप में भीम थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया व 2 बाल अपचारियों को डिटैन किया गया।

थानाधिकारी गजेन्द्रसिंह ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस ने चंदा उर्फ चन्द्रप्रकाश सिंह पुत्र रतनसिंह कुशवाह निवासी कोच थाना कोच जिला जालीन उत्तर प्रदेश, हेमेन्द्रसिंह उर्फ रवि पुत्र श्रवणसिंह रावत निवासी धर्मशपुरी भीम, सुरेन्द्रसिंह उर्फ नैना लक्ष्मणसिंह निवासी नेडी भीम, शिवेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह रावत निवासी बालाता की गुआर भीम एवं योगेश उर्फ नैना पुत्र राजसिंह रावत निवासी निचला बाजार मानारावजी का वास भीम को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि 24 जून को प्रार्थी अब्बास अली पुत्र खुदाबख्त कुरैसी निवासी न्यू विजय



राजसमंद : मजारों की तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने पांच जनों को गिरफ्तार किया।

कॉलोनी भीम ने समस्त मुस्लिम समाज भीम की ओर से एक रिपोर्ट पेश की। जिसमें बताया कि 23 जून रात्रि के समय किसी अज्ञात

असामाजिक तत्वों द्वारा पुराने तालाब स्थित बनी मजारों की तोड़-फोड़ क्षतिग्रस्त कर दिया गया है एवं वहां बैटकर शराब का सेवन भी किया है।

साथ ही मजारों पर गंदगी फैलाई हुई है। असामाजिक तत्वों ने इस तरह का कृत्य कर धार्मिक भावनाओं को

■ जन्मदिन पर शराब पार्टी के बाद की थी मजारों की तोड़फोड़


■ भीम थाना पुलिस ने दो बाल अपचारी भी डिटैन किए

आहत कर सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशानुसार टीम गठित की गई।

डीएसपी राजेन्द्रसिंह ने घटना स्थल का मौका सुआयना किया। इसके बाद थाने पर शांति बनाये रखने के लिए सीएलजी सदस्यों की मिंटींग ली गई। मामले को लेकर गठित टीमों द्वारा आसुचना का सफलता करते घटना का खुलासा कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार व दो बाल अपचारी को डिटैन किया गया। पुलिस द्वारा मामले को लेकर जांच जारी है।

तबियत बिगड़ने से मनरेगा महिला श्रमिक की मौत

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के मांडल थाना क्षेत्र में गोपालद्वारा के समीप मनरेगा मस्टरोल में काम करती एक अघेड़ महिला की अचानक तबियत बिगड़ जाने से मौत हो गई। सूचना पर ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ लिपिक भागचंद जाट मौके पर पहुंचे जहां से महिला को मांडल चिकित्सालय पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत



मनरेगा में काम करती महिला की तबियत बिगड़ने की सूचना पर ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ लिपिक भागचंद जाट मौके पर पहुंचे।

■ मनरेगा नियमों के तहत सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का आरोप

घोषित कर दिया।

ग्राम विकास अधिकारी कजोड़मल गुर्जर ने बताया कि शुरुवार सुबह सभी श्रमिकों के साथ गुलाबी पत्ती कन्हैया लाल लौहार 60 वर्ष कार्यस्थल पर आई जहां कुछ ही देर बाद उसकी तबियत बिगड़ गई थी।

क्षेत्रभर में नरेगा श्रमिकों के लिए गर्मी के प्रकोप को देखते हुए सुबह का समय किया हुआ है लेकिन श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें नरेगा नियमों के तहत आवश्यक सुविधाएं मुहैया नहीं कराई

हुई हैं जैसे जल, छाया इत्यादि इस कारण श्रमिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

शुक्रवार सुबह भी यही स्थिति बनी हुई थी जिस कारण अघेड़ महिला की अचानक तबियत बिगड़ गई और उसे प्राथमिक उपचार समय पर ना

मिलने के अभाव में मौत हो गई। इससे क्षेत्रभर के श्रमिकों में आक्रोश व्याप्त है। मृत श्रमिक के परिजनों को सूचित कर महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया जहां मेडिकल बोर्ड की मदद से उसका पोस्टमार्टम कराया गया।

उपनगर पुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नाकाम

भीलवाड़ा, (निसं)। भीलवाड़ा शहर के उपनगर पुर में असामाजिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नाकाम कोशिश की गई। कब्रिस्तान की दीवार पर आपत्तिजनक नारे लिखने से क्षेत्र में माहौल गरमा गया।

एसएसपी ज्येष्ठा मेत्रेयी ने बताया कि उपनगर पुर में नीलकंठ महादेव मंदिर के पास सोरगर मोहल्ले के निकट तलाब की पाल के निकट कब्रिस्तान है। शुरुवार सुबह असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की नीयत से कब्रिस्तान की दीवार पर आपत्तिजनक नारे लिख दिए। इसकी जानकारी जब मुस्लिम समाज के लोगों को हुई तो उनमें रोष व्याप्त हो गया और बड़ी संख्या में मौके पर भीड़ जमा हो गई।

सूचना मिलने पर पुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इस दौरान मौके पर

■ कब्रिस्तान की दीवार पर आपत्तिजनक नारे लिखने से माहौल गरमाया

■ प्रशासन की सूझबूझ से मामला शांत हुआ, दीवार पर लिखे नारे को मिटवाया

■ मुस्लिम समाज की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है

मौजूद लोग उच्चाधिकारियों को मौके पर बुलाने व नारे लिखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग करने लगे।

इसके बाद डीएसपी सदर रामचंद्र चौधरी, एसडीएम सोमप्रभा मय जांबा मौके पर पहुंचे और आक्रोशित भीड़ से वार्ता कर समझाइश की। इसके बाद दीवार पर लिखे नारे को मिटवा दिया गया। मुस्लिम समाज की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। उपर, एहतियातन क्षेत्र में पुलिस जांबा तैनात कर दिया गया। पुलिस नारा लिखने वालों की तलाश कर रही है।

इस बीच, मौके से पुलिस ने दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति को डिटैन कर लिया और थाने ले गई। इसकी भनक लगते ही दूसरे पक्ष के लोग पुर गये के बाहर पहुंच गये।

ये लोग डिटैन किये गये व्यक्ति को छोड़ने व इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई थी। पुलिस स्थिति पर निगाह रखे हुये हैं।

जेईई मेन परीक्षा आयोजित

कोटा, (निसं)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर शुरुवार को बीई और बीटेक में दाखिले के लिए आयोजित जेईई मेन-2022 परीक्षा दो सत्र में हुई। परीक्षा की पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 12 बजे और दूसरी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की गई।

जेईई मेन की परीक्षा 23 जून से शुरू होकर लगातार 29 जून तक देशभर में आयोजित की जा रही है। मोशन एजुकेशन फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने बताया कि जेईई मेंस 2021 के लिए स्टूडेंट्स की पहली सत्र की प्रतिक्रियाओं के मुताबिक मैथमेटिक्स सेक्शन गत वर्षों की तुलना में कठिन था जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट अपेक्षाकृत आसान रहा। जहां तक वेटेज का सवाल है मैथ्स में वेटेज, मैथमेटिकल इंडकशन, पी एंड, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, पीओसी, वेक्स और केमिस्ट्री में सवाल एनसीईआरटी आधारित और सीधे थे। कुल मिलाकर फिजिक्स और मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा चर्चा कर रहे हैं जबकि केमिस्ट्री में ज्यादातर न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे।

जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने बैंक पर हर्जाना लगाया

जोधपुर, (कासं)। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने फाइनेंस किये हुए वाहन को किरातों के भुगतान में चूक किये जाने पर विधिवत नोटिस दिए बिना ही ऋणी से जब्त कर नाजायज रूप से बेचान कर देने पर इंडसइंड बैंक पर दो लाख रुपए हर्जाना लगाया है।

मामले के अनुसार उदय मंदिर, जोधपुर निवासी मोहिना बानो ने जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय में परिव्राद प्रस्तुत कर बताया कि उसने अपने जीवनयापन हेतु तीन पहिया वाहन अतुल जैमिनी बैंक मार्च, 2017 में खरीदकर इंडसइंड बैंक, इंडस्ट्रीयल एरिया, द्वितीय चरण, बासनी शाखा से 1 लाख 30 हजार रूपये की ऋण सुविधा प्राप्त की थी। बैंक ने कुछ किरातें बकाया बताकर 27 फरवरी, 2018 को कुछ बाहुबलियों के द्वारा उससे यह वाहन जब्त कर ली। बैंक ने कुछ किरातें जमा कराने का निवेदन किया किंतु इसे दरकिनार कर दिया तथा नीलामी प्रस्तुत कर बताया कि परिव्रादी में

■ फाइनेंसुदा वाहन को नाजायज रूप से जब्त कर बेचने पर हर्जाना लगाया

20734 रुपए की ऋण किरातें बकाया होने से करार की शर्तों के अनुसार उसे वाहन जब्त करने का पूर्ण अधिकार है तथा नोटिस दिए जाकर जब्त व नीलामी की नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने यह पाया कि विपक्षी बैंक द्वारा जन्वी व नीलामी कार्यवाही में अनेक अनियमितताएं एवं अवैधता बरती गई है। मात्र सात दिन का नोटिस दिया गया है तथा उक्त नोटिस की भी अवधि पूरी होने से पहले ही वाहन को परिव्रादीने से जब्त कर लिया गया। परिव्रादीनी ने आजीविका कमाकर बकाया किरातें जमा कराने का निवेदन किया किंतु इसे दरकिनार कर दिया तथा नीलामी कार्यवाही भी पूर्ण प्रक्रिया की पालना

किए बिना तुरत-फुरत में पूरी कर दी गई है। वाहन को बेचने हेतु सैल लैटर का स्टॉप पेपर 11 अप्रैल को खरीद किया गया है, जबकि इस पर सैल लैटर पूर्व तिथि 21 मार्च में तैयार किया गया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ. अनुग्रहा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी ने अपने निर्णय में कहा कि विपक्षी बैंक के कर्मचारियों की खराब कार्यशैली व सेवा में कमी के कारण परिव्रादीनी को ना केवल एकाएक रोजगार के साधन से वंचित होना पड़ा है। बल्कि नये खरीद किये गये वाहन को कुछ माह बाद ही जानबूझकर आधी कीमत पर बेचकर परिव्रादीनी को भारी आर्थिक नुकसान काटित किया गया है।

आयोग ने विपक्षी बैंक की सेवा में कमी मानते हुए आर्थिक नुकसान व मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के निमित्त दो लाख रुपए की राशि विपक्षी बैंक द्वारा परिव्रादीनी को भुगतान करने का आदेश दिया है।

भीलवाड़ा में तीन करोना पॉजीटिव मिले

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले में शुरुवार को तीन कोविड पॉजीटिव परीज सामने आए हैं। इनमें एक शहरी क्षेत्र का जबकि दो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। हालत ठीक नहीं होने पर एक को अस्पताल में भर्ती किया गया है जबकि दो को घर पर ही होम आइसोलेट किया गया है। तीनों की कोई भी ट्रावेल हिस्ट्री नहीं है। डिप्टी सीएमएचओ एवं रैपिड रेस्पांस टीम प्रभारी डॉ. धनश्याम चावला ने बताया कि इन परीजों में पहला मांडल क्षेत्र का 21 वर्षीय युवक है जिसे तबीयत ठीक नहीं होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा शहर के सुभाष नगर का रहने वाला 25 वर्षीय युवक है और तीसरा कोटडी का रहने वाला 45 वर्षीय प्रौढ़ है। सभी ने सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर कोरोना की जांच करवाई थी। इनमें सुभाष नगर के रहने वाले व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन की तीनों डोज लगावा ली है जबकि शेष दो ने दो डोज लगावा ली है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से वैक्सीन लगवाने एवं कोविड गाइडलाइन की पालना की अपील की है।

अनुकंपा नौकरी के लिए पिता को अफीम देकर मारने का आरोप

जोधपुर, (कासं)। शहर के मथुरादास माधुर अस्पताल में एक बीमार की गत वर्ष दिसम्बर में मौत हो गई थी। उसके रिश्तेदार ने मृतक के दो पुत्रों, उसकी पत्नी और अन्य के खिलाफ हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। शास्त्रीनगर पुलिस ने घटना में प्रकरण दर्ज करते हुए जांच आरंभ की है। आरोप है कि मृतक जलदाय विभाग में नौकरी करता था और परिजन अनुकंपा नौकरी पाने के लिए बीमार को अफीम दी थी। फिलहाल पुलिस इस संबंध में अब जांच कर रही है।

शास्त्रीनगर पुलिस ने बताया कि बाइमेर के पुराना जाटवास निवासी कैलाश पुत्र ईश्वरचंद शर्मा ने यह मामला

■ दो पुत्रों व पत्नी सहित अन्य के खिलाफ हत्या करने का मामला दर्ज

दर्ज करवाया। इसमें बताया कि उसके बड़े पिता का लडका जगदीश शर्मा जलदाय विभाग में नौकरी करता था। गत वर्ष दिसम्बर में वह बीमार हो गया था। तब उसे बाइमेर के एक चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मार तबीयत बिगड़ने पर बाद में उसे जोधपुर के मथुरादास माधुर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जहां पर 2 दिसम्बर को उसकी मौत हो गई। परिव्रादी कैलाश का आरोप है कि

जगदीश के दो पुत्रों मुकेश, सवाई सिंह एवं पत्नी तुलसी से संबंध अच्छे नहीं थे। बाइमेर अस्पताल में जगदीश के बीमार होने के बावजूद डॉक्टर मनाई के उपरांत ही उसे अफीम दी गई थी। तबीयत बिगड़ने पर जोधपुर भेजा गया था। इन लोगों ने साजिश पूर्ण तरीके जगदीश की हत्या की है। वे अनुकंपा नौकरी हासिल करना चाहते थे। रिपोर्ट में उक्त तीन लोगों के अतिरिक्त जाटवास बाइमेर के रमेश जोशी एवं जोधपुर के पीपली निवासी खीमाराम पर भी इसमें शरीक होने का आरोप लगाया है। शास्त्रीनगर पुलिस ने हत्या एवं सबूत नष्ट किए जाने का प्रकरण दर्ज करते हुए अब इसमें अनुसंधान आरंभ किया है।

सेना के बम निरोधक दस्ते ने बमों को डीफ्यूज किया

सूरतगढ़, (निसं)। सूरतगढ़ के राजियासर और सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में करीब तीन सप्ताह पूर्व मिले सेना के दो विंदा बमों को शुरुवार को श्रीगंगानगर से पहुंचे सेना के बम निरोधक दस्ते ने ब्लास्ट करवा डिफ्यूज कर दिया।

28 मई को राजियासर थाना क्षेत्र के उदयपुर गोदरान गांव की रोही और सूरतगढ़ सिटी थाना के पिपेरन क्षेत्र में बम मिले थे। जिसे ग्रामीणों की सूचना के साथ ही ग्रामीणों और निगरानी कर रही राजियासर तथा सूरतगढ़ की सिटी पुलिस ने राइत की सांस ली है। करीब 22 वर्ष पूर्व बिरघवाल स्थित सेना के आयुध डिपो में लगी आग के बाद हुए धमाकों के कारण कई बम आसपास के इलाकों में जा गिरे थे।

■ राजियासर व सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में मिले थे बम

टीम ने इन बमों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर विधि सम्मत ब्लास्ट करवा दिया। वहीं बम ब्लास्ट के बाद एक बारगी आसमान में रेत का गुबार छा गया। बम के निस्फारण होने के साथ ही ग्रामीणों और निगरानी कर रही राजियासर तथा सूरतगढ़ की सिटी पुलिस ने राइत की सांस ली है। करीब 22 वर्ष पूर्व बिरघवाल स्थित सेना के आयुध डिपो में लगी आग के बाद हुए धमाकों के कारण कई बम आसपास के इलाकों में जा गिरे थे।

बेटे को विदेश भेजने के लिये हैड कांस्टेबल को हनीट्रैप में फंसाया

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले में हनीट्रैप के मामले में एक हैड कांस्टेबल ही फंस गया। सीएलजी महिला मंबर ने अश्लील वीडियो बनाकर 3 से 4 लाख रुपए की डिमांड की।

पदमपुर थाने में तैनात कांस्टेबल गुरदेव सिंह ने मामला दर्ज करवाया कि कि थाने की सीएलजी मंबर सुखप्रीत को ने उसे इलाके से गायब हुई एक युवती के उसके घर होने की बात कहकर उसे अपने घर बुलाया। कांस्टेबल के आरोपी सीएलजी मंबर के घर पहुंचने पर उसने उसे अपने घर के अंदर कमरे में बैठाया और बाहर से दरवाजा बंद करवा दिया। आरोपी महिला के साथ मौके पर एक और महिला भी मौजूद थीं। जिसने उसकी अश्लील क्लिप बना ली। वीडियो वायरल

कर बदनामी का भय दिखा 3-4 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सुखप्रीत और और विमला निवासी 1 डीडी व ऑनकल श्रीगंगानगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल से अश्लील क्लिप और लूटपाट की राशि 1420 रुपए बरामद किए हैं। आरोपी महिला सुखप्रीत को ने बताया कि उसे अपने बेटे को विदेश भेजना है और इसके लिए रुपए की जरूरत थी। इसी कारण उसने यह साजिश रची। अश्लील क्लिप बनाने के बाद आरोपी महिला सुखप्रीत हैड कांस्टेबल गुरदेव से 4 लाख रुपये मांगने लगी। यह जानकारी मिलने पर डीएसपी सुरेंद्र राठौड़ और एसएचओ रामकेश मीना ने आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाई। आरोपी

महिला के रुपए मांगने के लिए करीब 10 फोन आये। आरोपी महिला ने हैड कांस्टेबल से नया मोबाइल खरीदने के लिए कुछ रुपये ऑनलाइन उसके खाते में ट्रांसफर करने को कहा। पुलिस ने दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग की। दोपहर तक मामला डेढ़ लाख रुपये में तय हो गया। आरोपी महिला ने रुपए लेने के लिए फोन कर कई बार जगह बदली। हैड कांस्टेबल ने बात किसी को लोक नहीं करने का भरोसा दिलाया तो सुखप्रीत ने उसे गांव की तरफ नहर पर पैसे लेने के लिए बुलाया। सुखप्रीत पकड़े जाने के डर से खुद नहीं आई बल्कि साजिश में शामिल विमला नाम की महिला को भेजा। पुलिस ने योजना के अनुसार उन्हें पकड़ लिया।

हिस्ट्रीशीटर की हत्या की साजिश नाकाम

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की सुभाषनगर थाना पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर की हत्या की साजिश रचते एक अन्य हिस्ट्रीशीटर सहित चार युवकों को गिरफ्तार कर चाकू सहित अन्य हथियार बरामद किए हैं। इन दो गुटों के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर रंजिश चल रही थी। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंघु ने बताया कि शहर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए

- हथियारों के साथ हिस्ट्रीशीटर सहित चार गिरफ्तार
- दोनों गुटों के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर रंजिश चल रही थी
- पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ में जुटी



सुभाषनगर थाना पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर की हत्या की साजिश रचते एक अन्य हिस्ट्रीशीटर सहित चार युवकों को गिरफ्तार कर चाकू सहित अन्य हथियार बरामद किए।

मोंटी भांभी, शशि गवारिया व हिस्ट्रीशीटर ईश्वर उर्फ ईशू, गोविंद व ओमप्रकाश के बीच जेल में रहने के दौरान आपसी रंजिश हो गई। इसी रंजिश के चलते आदतन अपराधी ईश्वर उर्फ ईशू, गोविंद, कमल, राहुल नायक, संदीप सिंह राणावत, पालडी रोड हरिजन बस्ती स्थित खाली भूखंड में हथियारों सहित जमा होकर आदतन अपराधी मोंटी भांभी व शशि गवारिया की हत्या की

साजिश रच रहे हैं। सूचना के आधार पर तत्काल टीम ने दबिश देकर हिस्ट्रीशीटर ईश्वर उर्फ ईशू, उसके साथी कमल, राहुल नायक व संदीप सिंह राणावत को गिरफ्तार किया। ईश्वर के कब्जे से तलवार व चाकू, कमल से तलवार, राहुल नायक से फरसा पाइप, संदीप सिंह से फरसा व पाइप जब्त किया गया। वहीं एचएच गोविंद पुलिस के आने की भनक लगने से फरार हो गया। सभी चारों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर लिया

गया। पुलिस गोविंद की तलाश कर रही है। पकड़े गए लोगों में ईश्वर उर्फ ईशू पुत्र गोपाल निवासी छोटी पुलिया, पालडी रोड हरिजन बस्ती आरसी व्यास, कमल कोटियान पुत्र रमेश कोटियान, अंबेडकर कॉलोनी, राहुल पुत्र दामोदर नायक व संदीप सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह राणावत निवासी हीरा फैक्ट्री के पास सुभाष नगर शामिल है। पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है।

छह लाख रुपए की स्मैक सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया

करौली, (निसं)। करौली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए करीब 6 लाख रुपये की अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

जिला स्पेशल टीम, कुड़गांव थाना पुलिस और साइबर सेल की मदद से ऑपरेशन फ्लेशआउट के तहत कार्रवाई करते हुए 57 ग्राम स्मैक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने बताया कि पुलिस द्वारा

■ पुलिस व साइबर सेल की मदद से ऑपरेशन फ्लेशआउट के तहत कार्रवाई की

अवैध मादक पदार्थ स्मैक के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन फ्लेशआउट के तहत कुड़गांव थाना पुलिस अधीकारी नीरज कुमार शर्मा, डीएसटी टीम और साइबर सेल के साथ थाने से रवाना होकर गस्त एवं चेकिंग बकमाशन करवा कुड़गांव, गैरई मोड़, बस स्टैंड होते हुए रूडी रोड तिराहे पर पहुंचे तो दो व्यक्ति सामने से आते हुए दिखाई दिए जो पुलिस की जांच को देखकर रंडी गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर भागने लगे जिन्हें थाना अधिकारी और डीएसटी टीम के हैड



जिला स्पेशल टीम और कुड़गांव थाना पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

है। उन्होंने बताया कि शुरुवार को कुड़गांव थाना अधिकारी नीरज कुमार शर्मा, डीएसटी टीम और साइबर सेल के साथ थाने से रवाना होकर गस्त एवं चेकिंग बकमाशन करवा कुड़गांव, गैरई मोड़, बस स्टैंड होते हुए रूडी रोड तिराहे पर पहुंचे तो दो व्यक्ति सामने से आते हुए दिखाई दिए जो पुलिस की जांच को देखकर रंडी गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर भागने लगे जिन्हें थाना अधिकारी और डीएसटी टीम के हैड

कांस्टेबल रविंद्र, कांस्टेबल विक्रमसिंह ने तत्परता दिखाते हुए भाग कर पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों की तलाशी ली गई तो दोनों आरोपियों से 57 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिली जिसे जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं कुड़गांव थाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि कार्यवाही में कुड़गांव थाने के थाना अधिकारी नीरज

कुमार शर्मा, जिला स्पेशल टीम के प्रभारी रविंद्र सिंह हैड कांस्टेबल, कुड़गांव थाने के कांस्टेबल मदन मोहन, रामराज, डीएसटी टीम के हैड कांस्टेबल संदीप कुमार, कांस्टेबल विक्रम सिंह, नमोनायण, रनो सिंह, रूपेंद्र सिंह, कैलाश, चालक अभय, साइबर सेल के मनीष कुमार और कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार साथ रहे। इस दौरान पूरी कार्यवाही में कांस्टेबल विक्रम सिंह की विशेष सराहनीय भूमिका रही।